Notice Academic

No.: EC-16/Academic/02

09 February 2021

Attn.: B.Tech, MBA, MCA & M.Tech. Students

Please refer to AKTU circular no. 4453 dated 06/02/2021, regarding new guidelines for challange evaluation (copy enclosed).

These challange evaluation rules / guidelines shall be applicable w.e.f odd semester result of session 2020-21.

Students desirous of challange evaluation must read these guidelines / instruction carefully before applying for challange evaluation.

Dr. L. Chandiramani
Controller of Examination

Distribution:-

1. List - A All
2. List - B All
3. List - C All
4. List - D For Website: Web Administrator (Mr. Lav Ji Jhingran) To please upload on College website.

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0,
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार,सीतापुर रोड, लखनऊ

पत्रांकः ए0के0टी0यू0/परीक्षा/2021/4453 दिनांक : 06 /02/2021

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य
डा0ए0पी0जे0अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश,
लखनऊ से सम्बद्ध समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थान ।

विषय विश्वविद्यालय में चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) अध्यादेश को समान रूप से लागू किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि चुनौती मूल्यांकन के नये दिशानिर्देशों के संबंध में शासन के पत्र संख्या 39298/16–1099/17/2020, दिनांक 11 सितम्बर, 2020 के साथ श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या ई–7443/03–जी0एस0/2019(टी0सी0), दिनांक 26.11.2020 में संलग्न गाइड लाईन (मानक निर्देश) में दी गयी व्यवस्था को चुनौती मूल्यांकन के अंतर्गत लागू किये जाने के प्रस्ताव को परीक्षा समिति की दिनांक 09.01.2021 को ऑनलाइन जूम के माध्यम से सम्पन्न हुई 68वीं बैठक के मद संख्या 68.13 में तथा वित्त समिति की दिनांक 18 जनवरी, 2021 को सम्पन्न 56वीं बैठक के मद संख्या 21.56.23 में विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया :–

"समिति द्वारा चुनौती मूल्यांकन के नये दिशानिर्देशों के संबंध में शासन के पत्र संख्या 39298/16–1099/17/2020, दिनांक 11 सितम्बर, 2020 के साथ श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या ई–7443/03–जी0एस0/2019(टी0सी0), दिनांक 26.11.2020 में संलग्न गाइड लाईन (मानक निर्देश) में दी गयी व्यवस्था को चुनौती मूल्यांकन के अंतर्गत लागू किये जाने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही चुनौती मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन किए जाने के समय ही बैंक (RTGS) विवरण प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय के ई0आर0पी0 अनुभाग को निर्देश किया गया जिससे छात्रों को जमा किये गये शुल्क की वापसी में कोई विलम्ब न हो।"

अतः अनुरोध है कि समिति के उक्त निर्णयानुसार संलग्न गाइड लाईन (मानक निर्देश) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विषम सेमेस्टर 2020–21 से चुनौती मूल्यांकन कराये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक : यथोक्त ।

भवदीय

06/2/2021

(डा0 राजीव कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ ।
2. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ ।
3. अपर/संयुक्त/उप परीक्षा नियंत्रक, ए0के0टी0यू0, लखनऊ ।
4. प्रभारी, ई0आर0पी0, ए0के0टी0यू0, लखनऊ ।
5. स्टाफ आफीसर, कुलपति, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(डा0 राजीव कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

चुनौती मूल्यांकन
(Challenge Evaluation)

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) दो चरणों में होगा–

1. मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) देखने की सुविधा
2. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा

आवेदन अवधि –

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के प्रथम चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 30 (तीस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क –

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के प्रथम चरण लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रु0 300/- प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में –

1. आवेदन के उपरान्त परीक्षार्थी को मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध करवायी जा सकती है।
2. परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन अवधि –

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 45 (पैंतालिस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण का शुल्क –

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रु0 2500/- प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया –

1. प्रत्येक प्रश्न पत्र के चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के हेतु कम से कम 4 (चार) विषय विशेषज्ञों/ परीक्षकों की एक नामावली (panel) संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति को प्रस्तुत की जाए।
2. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के लिए प्रस्तुत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उपर्युक्त नामावली में से नामित किन्हीं दो विषय विशेषज्ञों/ परीक्षकों द्वारा करवाया जाए।
3. विषय विशेषज्ञ/ परीक्षक को नामित करने का कार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाए।
4. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के लिए उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ/ परीक्षक के सम्मुख उपस्थित करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक/अंकों का विवरण छिपा दिया जाए।

5. संबंधित उत्तर पुस्तिका की दो छाया प्रतियां तैयार करवायी जाएं और उन्हें नामित विषय विशेषज्ञों / परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में–

1. दोनों विषय विशेषज्ञों / परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाए।
2. यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा , चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हों अथवा अधिक।
3. यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क रु0 2500/- में से रू0 1000/- की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाए।

मूल्यांकन में लापरवाही बरतने पर मूल परीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में –

1. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) में प्राप्तांक अंकों में 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजी जाए।
2. यदि ऐसे परीक्षक के 3(तीन) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक के संबंधित प्रश्न पत्र के मूल्यांकन का पूरा पारिश्रमिक रोक दिया जाए। यदि ऐसे परीक्षक के 5(पांच) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक को कम से कम दो वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा संबंधी कार्यों से विवर्जित (debarred) रखा जाए और यदि 10 से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उपर्युक्त के साथ– साथ उस परीक्षक की निजी विवरण पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दी जाए।